न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/07/2018

उनवान

1. श्रीमती सुगनी पुत्री उदा भील पत्नि गोपी भील निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रेम बेवा नंदा भील हाल पत्नि बालु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. सांवरा पिता बालु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. ओम पिता बालु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. रामा पिता बालु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. बालु पिता हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6. बाबू पिता हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
7. मु0 बदाम पुत्री हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
8. मांगी पुत्री हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
9. कमला पुत्री हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
10. धन्नी पुत्री हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
11. गोपी पिता रामा भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
12. बाबू पिता रामा भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. लादु पिता रामा भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14. भागु पिता रोडा भील मृतक के कायम मुकाम :–

14/1 दिनेश पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/2 धर्मीचंद पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/3 मंजू पुत्री शंकर भील उम्र नाबालिग बबिलायत माता श्रीमती कमला उर्फ प्रेमी पत्नि शंकर भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/4 कमला उर्फ प्रेमी पत्नि स्व0 शंकर पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/5 पप्पू पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/6 महावीर पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/7 मानी पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/8 प्रेमी पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/9 काली पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/10 फूलवंती पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/11 गीता पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

15. कनिराम पिता नानू भील निवासी गोरिण्डया आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

16. रामदेव पिता नानू भील निवासी जसवंतपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर (नाम डिलिट 15.5.2019)

17.. नानू पिता देबी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18.लछु पिता देबी भील मृतक लाऔलाद फौत
19.राज्य सरकार जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
20.सब रजिस्ट्रार, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
21.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 136/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7..2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री श्रवण सेन, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 692 रकबा 1.28 है0, आराजी नम्बर 693 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 696 रकबा 0.14 है0, आराजी नम्बर 1258 रकबा 0.17 है0, आराजी नम्बर 1259 रकबा 0.36 है0, आराजी नम्बर 1260 रकबा 0.43 है0, आराजी नम्बर 1277 रकबा 0.34 है0, आराजी नम्बर 1278 रकबा 0.01 है0, आराजी नम्बर 1279 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 1280 रकबा 0.28 है0, आराजी नम्बर 1282 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 1283 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 1284 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 1285 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 1286 रकबा 0.18 है0, आराजी नम्बर 1287 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 1288 रकबा 0.21 है0, कुल किता 19 कुल रकबा 5.17 है0 ग्राम आसीन्द तहसील आसीन्द में स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में रामा, बालु, बाबू,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बदाम, मांगी, कमला,धन्नी, पिता हजारी, गोपी बाबू पिता रामा , सांवरा पिता नंदा, प्रेम बेवा नंदा भील के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 2380 रकबा 0.40 है0 आराजी नम्बर 2549 रकबा 0.71 है0, आराजी नम्बर 2632 रकबा 0.36 है, आराजी नम्बर 3762 रकबा 0.10 है, आराजी नम्बर 3764 रकबा 0.32 है0, आराजी नम्बर 3765 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 3766 रकबा 0.23 है0, आराजी नम्बर 3767 रकबा 0.56 है0, आराजी नम्बर 3824 रकबा 0.57 है0, आराजी नम्बर 3827 रकबा 0.47 है, आराजी नम्बर 3828 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 3829 रकबा 0.09 है, आराजी नम्बर 3830 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 3831 रकबा 0.08 है0, आराजी नम्बर 3832 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 3833 रकबा 0.11 है, आराजी नम्बर 3835 रकबा 0.05 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.19 है0 ग्राम आसीन्द में स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में रामा, बालु, बाबू, बदाम, मांगी, कमला, धन्नी पिता हजारी भील,1/4 , सांवरा, ओम पिता नंदा, प्रेम बेवा नंदा भील 1/4, नानू, हीरा, लछु, भागु पिता देबी 1/2 भील साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। वादिया का सजरा निम्नानुसार है :–

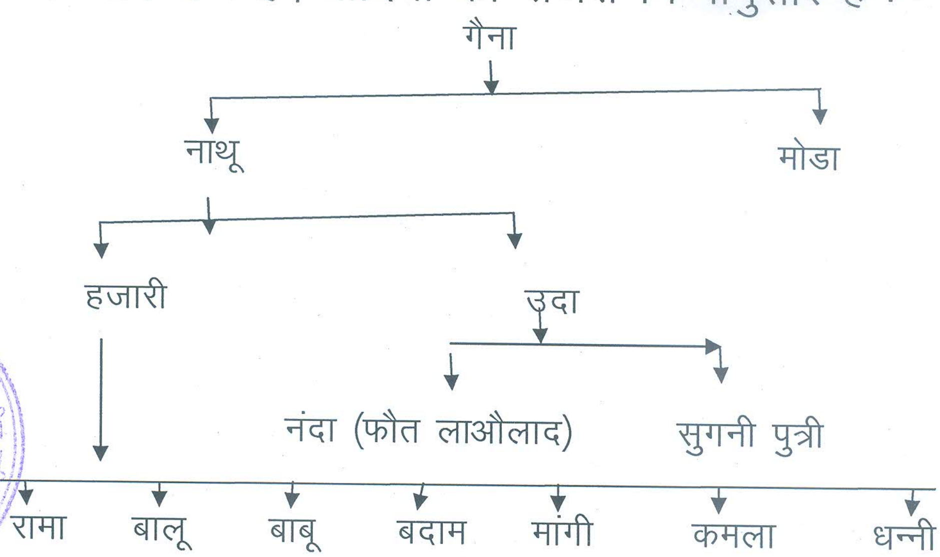

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. आराजियात वादिया की पुश्तैनी होकर नाथु, मोडा पिता गेना के समय की है जो हाल राजस्व रेकार्ड में रामा, बालू, बाबू, बदाम, मांगी, कमला, धन्नी, पिता हजारी नंदा पिता उदा, गोपी, बाबू लादू पिता रामा भील साकिन देह खातेदार एवं भागु पिता मोडा भील के दर्ज है। उदा की मृत्यु काफी अर्सा पूर्व हो चुकी है और उसके नंदा व वादिया दो वारिस है जिनमें दोनों का समान हक एवं स्वामित्व होता है परन्तु राजस्व रेकार्ड में अकेले नंदा के नाम दर्ज किया गया जो कानूनन गलत एव विधिविरूद्ध है। नंदा की मृत्यु के पश्चात गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से नंदा के हक हिस्से की आराजियात को सांवरा, ओम पिता नंदा, प्रेम बेवा नंदा भील के नाम दर्ज किया गया है सांवरा व ओम प्रेम के लडके है। जो प्रेम ने नंदा के मरने के पश्चात बालू से नाता विवाह किया । जो नंदा की मृत्यु के पश्चात बालू की संताने हैं जिनका नंदा की जायदाद में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं होते हुए भी विरासत से सांवरा, ओम पिता नंदा के नाम दर्ज किया गया जो गलत एवं विधि विरूद्ध है जिसे राजस्व रेकार्ड में उनके नाम को हटाया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकार्ड में नंदा की आराजियात सांवरा, ओम व मु0 प्रेम के नाम दर्ज होने के कारण यह प्रतिवादीगण वादिया की पुश्तैनी आराजियात जो उनके नाम गलत दर्ज हुई है को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है । वादिया की पुश्तैनी आराजियात में उदा के हिस्से की पुश्तैनी आराजियात में नंदा के साथ बराबर की हिस्सेदार है तथा नंदा लाऔलाद फौत हो जाने एवं उसकी पत्नि प्रेम के नाते चले जाने से नंदा की आराजियात में भी एकमात्र वादिया की विरासतीय उत्तराधिकारी है। जो उदा की हिस्से की आराजियात को विरासत से अपने नाम घोषित कराये जाने की अधिकारी है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अतः बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जाये कि ग्राम आसीन्द की वादग्रस्त आराजियात में नंदा की विरासत से वादिया के नाम कराये जाने की अधिकारी है तथा राजस्व रेकार्ड में नंदा के स्थान पर विरासत से वादिया के नाम दर्ज कराई जावे तथा वादिया के हक में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात को अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय, हस्तान्तरित नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुन गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एक अनपढ ग्रामीण महिला है जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है। अपीलार्थीया ने अपने प्रकरण के बारे में अपने अधिवक्ता श्री दूधाराम कुमावत से जानकारी की तो अधिवक्ता ने बताया कि कैम्प के बाद सभी तारीखें एक साथ देंगे, तब में बताऊंगा। अपीलार्थीया ने पुनः दिनांक 20.11.2017 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर पत्रावली के बारे में जानकारी चाही तो अधिवक्ता श्री दुधाराम कुमावत ने बताया कि उक्त पत्रावली को कैम्प में दिनांक 14.7.2017 को खारिज कर दिया गया है। तब जाकर अपीलार्थीया को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपीलार्थीण ने 21.11.2017 को उक्त पत्रावली की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व उसी दिन नकलें

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया की ओर से उक्त अनवान का एक वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 1.9.2011 को दर्ज कर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । दिनांक 14.3.2012 को सम्मन बाद तामील आये व दिनांक 4.7.2012 को प्रत्यर्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी पेश किया गया जिसे स्वीकार कर पत्रावली को शहादत मय जवाब में दिनांक 29.8.2017 को नियत की गई। उसके उपरान्त पत्रावली जवाब व शहादत में चलती रही । दिनांक 27.3.2017 को अपीलार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम कुमावत ने अण्डरटेकिंग ली व प्रत्यर्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का आवेदन पेश किया। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2017 की पेशी में नियत किया गया ।

7. उक्त पत्रावली दिनांक 6.9.2017 से पूर्व ही राजस्व कैम्प आसीन्द में तलब कर ली गई। इसकी सूचना अपीलार्थीया, अपीलार्थीया के अधिवक्ता दूधाराम कुमावत को नहीं दी गई व दिनांक 14.7.2017 को आदेशिका में यह अंकित करते हुए कि अधिवक्ता वादिया/वादीगण एवं स्वयं वादी/वादीगण द्वारा दौराने कैम्प निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ तथा इसी स्तर पर नोट प्रेस करता हूँ , जिसे इसी स्तर पर ड्रॉप फरमावें व इसी आधार पर उक्त प्रकरण को खारिज कर दिया गया । जबकि अपीलार्थीया को राजस्व कैम्प आसीन्द

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की जानकारी ही नहीं थी व न ही अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता को उक्त प्रकरण नोटप्रेस (प्रकरण में कोई कार्यवाही न चाहने बाबत) करने हेतु ही कहा । यदि अपीलार्थीया कैम्प मे उपस्थित होती तो दिनांक 14.7.2017 की आदेशिका पर अपीलार्थीया के हस्ताक्षर होते और अपीलार्थीया की उसके अधिवक्ता श्री दुधाराम द्वारा पहचान की जाती । जबकि उक्त आदेशिका पर न तो अपीलार्थी व न ही उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर ही है, जिससे उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

8. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि उक्त प्रकरण स्थावर सम्पदा से संबंधित होकर मूल्यवान प्रकृति का है । अगर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर उक्त प्रकरण को पुनः रिमाण्ड नहीं किया गया तो अपीलार्थीया/वादिया न्याय से महरूम हो जायेगी व अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेगी । जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार उक्त प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। राजस्व लोक अदालत का उद्धेश्य उभयपक्षों की उपस्थिति में राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण करना होता है। किन्तु आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त कैम्प मे न तो अपीलार्थीया उपस्थित हुई न ही अपीलार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित हुए, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तौर से कोटा पूरा करने के दुराशय से प्रकरण को निस्तारित कर दिया । जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलार्थी की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाये। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.7.2017 को पारित किया गया है। उक्त दिनांक को अपीलार्थीया/वादिया एवं उनके अधिवक्ता दोनों ही उपस्थित थे। जिनकी उपस्थिति अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से प्रमाणित होती है। अधिवक्ता वादिया द्वारा नोट प्रेस करने का कथन किया एवं आदेशिका पर अपने उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर भी किये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया का यह कथन कि अधिनस्थ न्यायालय में न तो वादिया उपस्थित थी एवं न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज किया गया था तो पुनः नम्बर पर लेने हेतु वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय ने उस अवसर का उपयोग नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलार्थीया का कथन है कि दिनांक 27.3.2017 को अपीलार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम कुमावत ने अण्डरटेकिंग ली व प्रत्यर्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का आवेदन पेश किया। पत्रावली को जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2017 की पेशी में नियत किया गया । उक्त पत्रावली दिनांक 6.9.2017 से पूर्व ही ही राजस्व कैम्प आसीन्द में तलब कर ली गई। इसकी सूचना अपीलार्थीया, अपीलार्थीया के अधिवक्ता दूधाराम कुमावत को नहीं दी गई व दिनांक 14.7.2017 को आदेशिका में यह अंकित करते हुए कि अधिवक्ता वादिया/वादीगण एवं स्वयं वादी/वादीगण द्वारा दौराने कैम्प निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूॅ तथा इसी स्तर पर नोटप्रेस करता हूॅ , जिसे इसी स्तर पर ड्रॉप फरमावें व इसी आधार पर उक्त प्रकरण को खारिज कर दिया गया । जबकि अपीलार्थीया को राजस्व कैम्प आसीन्द की जानकारी ही नहीं थी व न ही अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता को उक्त प्रकरण नोटप्रेस करने के लिए कहा था। यदि अपीलार्थीया कैम्प मे उपस्थित होती तो दिनांक 14.7.2017 की आदेशिका पर अपीलार्थीया के हस्ताक्षर होते और अपीलार्थीया की उसके अधिवक्ता श्री दुधाराम द्वारा पहचान की जाती ।

12. हमनें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में दिनांक 27.3.2017 को अधिवक्ता दुधाराम ने अण्डर टेकिंग ली । जिस पर उन्हें अधिकार पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया । प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया एवं नकल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया को दिलाई गई। मिसल वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 6.7.2017 को नियत की गई । दिनांक 14.7.2017 को पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में तलब की गई । आदेशिका के अवलोकन के अनुसार नियत दिनांक 14.7.2017 को अधिनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित हुए । अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन करते हुए नोट प्रेस करते हुए विचाराधीन स्तर पर ही ड्रोप करने का निवेदन किया । अधिवक्ता वादी ने आदेशिका पर उपस्थिति स्वरूप अपने हस्ताक्षर भी किये एवं नोट प्रेस अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि कैम्प कोर्ट में न तो वादिया उपस्थित हुई एवं न ही उनके अधिवक्ता ही उपस्थित थे। अहकाम दिनांक 14.7.17 अनुसार प्रकरण कैम्प कोर्ट में वादीया व उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में नोटप्रेस से ड्रोप/खारिज किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिवक्ता वादी व स्वयं वादी को सुना जाकर प्रकरण नोटप्रेस से ड्रोप/खारिज किया है। वादीया द्वारा अन्य अधिवक्ता की अण्डरटेकिंग दिनांक 27.03.17 को कराई है परन्तु अन्य अधिवक्ता का वकालतनामा शामिल पत्रावली नहीं है। अतः अपीलाण्ट/वादीया की उपस्थिति में सक्षम अधिवक्ता द्वारा किये गए नोटप्रेस के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7.2017 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. निर्णय आज दिनांक 26.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/07/2018

उनवान

1. श्रीमती सुगनी पुत्री उदा भील पत्नि गोपी भील निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रेम बेवा नंदा भील हाल पत्नि बालु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. सांवरा पिता बालु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. ओम पिता बालु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. रामा पिता बालु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. बालु पिता हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6. बाबू पिता हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
7. मु0 बदाम पुत्री हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
8. मांगी पुत्री हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
9. कमला पुत्री हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
10. धन्नी पुत्री हजारी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
11. गोपी पिता रामा भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
12. बाबू पिता रामा भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. लादु पिता रामा भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14. भागु पिता रोडा भील मृतक के कायम मुकाम :–

14/1 दिनेश पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/2 धर्मीचंद पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/3 मंजू पुत्री शंकर भील उम्र नाबालिग बबिलायत माता श्रीमती कमला उर्फ प्रेमी पत्नि शंकर भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/4 कमला उर्फ प्रेमी पत्नि स्व0 शंकर पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/5 पप्पू पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/6 महावीर पिता भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/7 मानी पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/8 प्रेमी पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/9 काली पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/10 फूलवंती पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

14/11 गीता पुत्री भागु भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

15. कनिराम पिता नानू भील निवासी गोरिण्डया आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

16. रामदेव पिता नानू भील निवासी जसवंतपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर (नाम डिलिट 15.5.2019)

17. नानू पिता देबी भील निवासी भीलों की झुपडिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18.लछु पिता देबी भील मृतक लाऔलाद फौत

19.राज्य सरकार जरिये जिलाधीश, भीलवाडा

20.सब रजिस्ट्रार, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

21.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 136/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7..2017

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/07/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द** के आदेश की अपील इस

यह अपील तारीख 26.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री संजय सेन प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री श्रवण सेन वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 26.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7.2017 को यथावत रखा जाता है। इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्री जारी की जाती है।

26/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2 शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस